प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 8 अप्रैल, 2019**

विषयः- अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-7653.20 के सापेक्ष रू0-4287.15 लाख (रूपया बयालिस करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-238/बजट/2018-19, दिनांक: 31.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-7653.20 के सापेक्ष रू0-4287.15 लाख (रूपया बयालिस करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है :-

खाद्य प्रसंस्करण शाखा **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0 सं0	**मुख्य लेखाशीर्षक**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	2401-फसल क़षि कर्म	7348.98	3982.93
2	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	303.22	303.22
3	4415-क़षि अनुसंधान तथ शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	1.00	1.00
	योग-	**7653.20**	**4287.15**

अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण शाखा के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	**लेखाशीर्षक/योजना का नाम**		**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	***2***		***3***	***4***	***5***
1	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित	04-	यात्रा व्यय	1.00	
		08-	कार्यालय व्यय	2.00	
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	योजनायें-0103-ग्राम समृदि योजना (के-80/रा;20-के+रा;)	12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	4.00	
		18-	प्रकाशन	1.00	
		27-	सब्सिडी	927.00	
		42-	अन्य व्यय	5.00	
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.00	
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	
		58-	आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00	
			योग-03-	**1000.00**	**0.00**
2	0408-राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदढीकरण				
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
		29-	अनुरक्षण	95.00	95.00
			योग-0408	**100.00**	**100.00**
3	0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की याजना	01-	वेतन	2922.67	2922.67
		02-	मजदूरी	6.18	6.18
		03-	मंहगाई भत्ता	438.40	438.40
		04-	यात्रा व्यय	7.50	7.50
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.15	3.15
		06-	अन्य भत्ते	0.10	0.10
		08-	कार्यालय व्यय	5.45	5.45
		09-	विद्युत देय	15.00	15.00
		10-	जलकर/जलप्रभार	2.20	2.20
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.10	2.10
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.05	1.05
		13-	टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
		16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	0.38	0.38
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	23.00	23.00
		18-	प्रकाशन	0.95	0.95
		29-	अनुरक्षण	5.00	5.00
		42-	अन्य व्यय -मतदेय	3.15	3.15
			भारित	0.25	0.25
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	18.50	18.50
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4.00	4.00
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	1.40	1.40
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.75	0.75
		49-	चिकित्सा व्यय	9.90	9.90
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	179.76	179.76

http://shasanadesh.up.nic.in

		55-	मकान किराया भत्ता	175.36	175.36
		56-	नगर प्रतिकर भत्ता	36.53	36.53
		58-	आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.20	0.20
			योग-409-मतदेय	**3863.68**	**3863.68**
			भारित	**0.25**	**0.25**
4	0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन	16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	0.10	
		20-	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200.00	
		42-	अन्य व्यय	2.50	
		58-	आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.45	
			योग-0411	**203.05**	**0.00**
5	0412-फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42-	अन्य व्यय	10.00	10.00
			योग-0412	**10.00**	**10.00**
6	0413-ई-गवर्नेस तथा डाटाबेस का सुदढीकरण	12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
		42-	अन्य व्यय	1.00	1.00
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	2.00
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
			योग-0413	**9.00**	**9.00**
7	0418-उ0प्र0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	04-	यात्रा व्यय	1.00	
		08-	कार्यालय व्यय	1.00	
		09-	विद्युत देय	1.00	
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	5.00	
		16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	4.00	
		18-	प्रकाशन	5.00	
		27-	सब्सिडी	2000.00	
		42-	अन्य व्यय	5.00	
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	130.00	
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	
		58-	आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	
			योग-0417	**2163.00**	**0.00**
			योग-119-मतदेय	**7348.73**	**3982.68**
			भारित	**0.25**	**0.25**
			योग-2401-04-मतदेय	**7348.73**	**3982.68**
			भारित	**0.25**	**0.25**
			योग-2401	**7348.98**	**3982.93**

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

8	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- 80-सामान्य- 004-अनुसंधान- 07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	01-	वेतन	167.33	167.33
		02-	मजदूरी	1.00	1.00
		03-	मंहगाई भत्ता	25.10	25.10
		04-	यात्रा व्यय	1.20	1.20
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
		06-	अन्य भत्ते	8.00	8.00
		07-	मानदेय	0.50	0.50
		08-	कार्यालय व्यय	3.00	3.00
		09-	विद्युत देय	10.00	10.00
		10-	जलकर/जलप्रभार	0.15	0.15
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.50
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00
		13-	टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	1.00	1.00
		16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	2.00	2.00
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.50	3.50
		18-	प्रकाशन	0.50	0.50
		29-	अनुरक्षण	32.50	32.50
		42-	अन्य व्यय	2.00	2.00
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	1.70	1.70
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.25	0.25
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.25
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	9.25	9.25
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
		49-	चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.29	10.29
		55-	मकान किराया भत्ता	6.00	6.00
		56-	नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	2.00
		58-	आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00	3.00
			योग-2415-07	**303.22**	**303.22**
			योग-राजस्व लेखा मतदेय-	**7651.95**	**4285.90**
			भारित-	**0.25**	**0.25**
12	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-04-फल 0401-खाद्य प्रसंस्करण् एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना	26-	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	1.00	1.00
			योग-4401	**1.00**	**1.00**
			योग-पूंजीलेखा मतदेय	**1.00**	**1.00**
			भारित		
			कुल योग-(राजस्व पूंजीलेखा) मतदेय	**7652.95**	**4286.90**
			भारित	**0.25**	**0.25**
			वृहद योग-(मतदेय एवं भारित)	**7653.20**	**4287.15**

(धनराशि रू0- बयालिस करोड सत्तासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य

.....5/-

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि व्यय/निर्गत करने से पूर्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22/03/2019 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/ अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

8. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या-70/2019/325 (1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in